



दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित

● नई दिल्ली । शुक्रवार 09 अगस्त - 2024

● वर्ष: 8 अंक: 301 पेज-08

● RNI NO. DELHIN/2015/65364

● मूल्य: ₹3

सिर्फ सच...

## क्या नगर निगम में नहीं चल रहा है इन दिनों सब कुछ राइट

# खुलकर सामने आ गई नगर आयुक्त और मेयर की लैटर वाली फाइट!

**गाजियाबाद (करंट क्राइम)**। नगर निगम में भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा हो। बोर्ड बैठकों में शांति दिखाई दे रही हो और कांवड़ शिविर में नगर आयुक्त और मेयर एकसाथ दिखाई दे रहे हों मगर कहानी ठीक इसके विपरीत चल रही है। नगर निगम में सब कुछ राइट नहीं चल रहा है और गुरुवार को ये फाईट खुलकर सामने आ गई। पूरा मैटर तब सामने आया जब नगर आयुक्त और मेयर का एक दूसरे पर फोड़ा लैटर बम आ गया। अभी तक तो नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त की ट्र्यूनिंग की चर्चा होती थी। कांवड़ शिविर में दोनों एक साथ हैं, बोर्ड बैठक में एक साथ हैं और कई सामाजिक कार्यक्रमों में मेयर और नगर आयुक्त एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक लोकतंत्र वाली संस्था नगर निगम की मुखिया और सरकारी विभाग के आईएस अधिकारी और नगर निगम की कार्यपालिका के अधिकारी नगर आयुक्त के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को पत्र लिखे गये। लैटर का मैटर अलग है लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो गंभीर मैटर है उनका इस लैटर में जिक्र नहीं है। ट्र्यूनिंग ऐरर तो सामने आया ही है इसके अलावा कई और विषय हैं और अब यही कहा जा रहा है कि अगर नगर निगम सदन की मुखिया और नगर निगम के आयुक्त की बीच अगर टकराव होगा तो इसका इफेक्ट विकास कार्यों पर आता है। अगर अधिकारियों की बात आ जाता है तो फिर तकरारों का सीन सामने आयेगा। नगर आयुक्त ने 7 अगस्त को लैटर लिखा और इस लैटर में उन्होंने शासनादेश का हवाला दिया। जो नियम उन्होंने बताये थे बताये ही और कहानी में मोड़ तब आ गया जब नगर आयुक्त वाले पत्र में मेयर के पति का भी जिक्र आ गया। पत्रावलियों की बात हुई और फिर पत्र वार शुरू हुई। नगर आयुक्त ने लिखा कि पार्षद पति दखल ना दें। उन्होंने अपने पत्र में आफिशियल सीक्रेट एकत्र का हवाला दिया और यहां तक कह दिया कि महापौर के पति द्वारा निगम के आयुक्त को आई अधिकारीयों को फोड़ा लैटर है उनका इस लैटर में जिक्र नहीं है। जब नगर आयुक्त का ये लैटर 7 तारीख को जारी हुआ तो इस लैटर के पलटवार में मेयर का लैटर 8 तारीख जारी हुआ। मेयर ने 8 अगस्त को लैटर लिखा और सेध नगर आयुक्त को निशाने पर लिखा। उन्होंने कहा कि मैं आश्वर्यकृत रह गई जब समाचार पत्र में मूल प्रतिलिपि आपके द्वारा छपवाई गई। मेयर ने कहा यह प्रोटोकॉल अधिसियम का खुला उल्लंघन है और मेयर ने कहा कि मेरे पति द्वारा पत्रावली मांगने का आरोप पूरी तरह निधाराधार और असत्य है। कुल मिलाकर इस तकरार का सारा ये है कि नगर आयुक्त के लैटर में मेयर के पति के पति का भी जिक्र आ गया।

## नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा महापौर के पति को नहीं है पत्रावली मांगने का कोई अधिकार

करंट क्राइम। नगर आयुक्त ही सरकारी दस्तावेज अभिलेखों के विक्रमादित्य सिंह मलिक ने 7 अगस्त अवलोकन करने का प्रारंभिकन है। एव पत्र उन्होंने गाजियाबाद नगर निगम के सभी विभाग अध्यक्षों को सम्बोधित किया।

नगर आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा कि उनके संज्ञान में आया है कि शासकीय कार्य की पत्रावलियां उनकी स्वीकृति प्राप्त किये जानी ही महापौर के पति के पति के समस्त प्रस्तुत की जा रही है।

जब किं आप अवगत ही है कि गाजियाबाद नगर निगम की महापौर

निवार्चित है और उत्तर प्रदेश नगर नि�गम अधिनियम 1959 के अनुसार महापौर की ही बैठक में समिलित होने की अधिकारी है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करते हुए समस्त

निवार्चित एक दण्डनीय अपराध है।

पत्रावलियों को अधिलेखों के अपवाहन करने के बाद भी अधिकारी नहीं है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करते हुए समस्त

निवार्चित एक दण्डनीय अपराध है।

पत्रावलियों को अधिलेखों के अपवाहन करने के बाद भी अधिकारी नहीं है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के

अधिकारियों, कर्मचारियों को फोन कर बिना उचित माध्यम के शासकीय पत्रावलियों को अधिलेखों की फोटोकॉपी, स्कैनिंग करने से वर सकारा काम में व्यापक करने को कोई अधिकारी नहीं है। उनका यह कार्य अवलोकन सुनिश्चित करता जा रहा है।

महापौर को ही अधिलेखों के अवलोकन की अनुमति देते विवरत आवेदन की अधिकारी पूर्वोत्तर पर नगर आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बाद ऑफिश













